# (आरटीआई अनुरोध विवरण) RTI REQUEST DETAILS

**(पंजीकरण संख्या) Registration Number:** MOCAV/R/E/25/00431
**(प्राप्ति की तारीख) Date of Receipt:** 04/08/2025

**(रसीद का प्रकार)Type of Receipt :** Online Receipt
**(अनुरोध की भाषा) Language of Request:** English

**(नाम): Name :** Manish Kumar Kashyap मनीष कुमार कश्यप
**(लिंग) Gender:** पुरूष Male

**Address (पता): सबोर हाऊस, नए गोडाउन, गया पिन 823001**

**State (राज्य):** बिहार
**Country (देश):** भारत

**Phone Number (फोन नंबर):** +91-9199996464
**Mobile Number (मोबाइल नंबर):** +91-9199996464

**Email-ID (ई-मेल आईडी):** manish.kashyapriti@gmail.com

**Status (स्थिति) (Rural/Urban):** शहरी
**Education Status:** स्नातक

**Is Requester Below Poverty Line? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है):** नहीं
**Citizenship Status (नागरिकता):** भारतीय

**Amount Paid (राशि का भुगतान):** ₹10 (मूल प्रति प्राप्तकर्ता)
**Mode of Payment (भुगतान का प्रकार):** भुगतान गेटवे

**Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है?):** नहीं (सामान्य)

**Request Pertains to (अनुरोध संबंधित है):** दिपक नागपाल

**Information Sought (जानकारी मांगी): PLEASE SEE THE ATTACHMENT**

भारत के नागरिक होने के नाते, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के जीवन एवं स्वतंत्रता प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। यह आवेदन मुख्यतः भारत एयरोनॉटिक्स संस्थान में अध्ययनरत सैकड़ों छात्रों तथा पटना हवाईअड्डे पर प्रचालित यात्रियों एवं विमान परिचालन की सुरक्षा से संबंधित है।

संबंधित भवन पटना हवाईअड्डे के रनवे के लैंडिंग पॉइंट के समीप स्थित है तथा हवाईअड्डे की भूमि के साथ साझा सीमा-दीवार रखता है। उक्त भवन एचपी एविएशन ईंधन स्टेशन के भी निकट स्थित है, जिससे संभावित सुरक्षा एवं उड़ान सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं। रनवे पर पूर्व में हुई लैंडिंग घटनाओं, जिनमें मिस्ड एप्रोच जैसी घटनाएँ भी शामिल हैं, को देखते हुए यह एक गंभीर सुरक्षा का विषय है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के जीवन एवं स्वतंत्रता प्रावधान के अनुसार, कृपया मांगी गई सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

1. पटना हवाईअड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि के साथ साझा सीमा-दीवार वाले भारत एयरोनॉटिक्स संस्थान के भवन, जिसमें वर्तमान दो-मंजिला भवन भी शामिल है, के निर्माण की अनुमति प्रदान करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी दस्तावेजों, अनुमतियों, स्वीकृतियों एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।
2. क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था–

(क) उक्त भवन की प्रथम मंजिल के निर्माण हेतु; तथा
(ख) उसके पश्चात द्वितीय मंजिल के निर्माण हेतु।
यदि हाँ, तो संबंधित स्वीकृतियों/अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।

3. जिस भूमि पर भारत एयरोनॉटिक्स संस्थान का निर्माण किया गया है, उसकी भूमि स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। यदि भूमि पट्टे (लीज) पर है, तो पट्टा अनुबंध की प्रति, पट्टा अवधि, शर्तें तथा भूमि आवंटन का उद्देश्य उपलब्ध कराया जाए।
4. उक्त परिसर का ले-आउट प्लान तथा पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति की प्रति, जिसमें भवन की ऊँचाई संबंधी स्वीकृति भी शामिल हो, उपलब्ध कराई जाए।
5. क्या किसी हवाई अड्डे की साझा सीमा-दीवार अथवा उसके निकट किसी भी निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊँचाई संबंधी स्वीकृति अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होता है? यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

(क) पटना हवाईअड्डे पर लागू ऊँचाई संबंधी प्रतिबंधों के प्रासंगिक मानदंड।
(ख) क्या बीआईए भवन की द्वितीय मंजिल के निर्माण हेतु ऐसी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

6. क्या निर्माण के उपरांत भारत एयरोनॉटिक्स संस्थान, जिसकी सीमा पटना हवाईअड्डे से लगी हुई है, का कोई निरीक्षण तथा सुरक्षा/संरक्षा संबंधी परीक्षण किया गया था? यदि हाँ, तो निरीक्षण रिपोर्टों एवं उन पर की गई कार्रवाई की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।
7. विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित करने के उद्देश्य से बीआईए को भूमि आवंटन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा यह भी बताया जाए कि हवाईअड्डे की परिचालन सीमा के इतने निकट बहुमंजिला भवन के निर्माण की अनुमति किन शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई।
8. क्या इस निर्माण के संबंध में कभी कोई शिकायत अथवा आपत्ति प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो दर्ज शिकायतों की प्रतियां (यदि अभिलेखित हों) तथा उन पर की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाएँ।
9. हवाईअड्डों की सीमा के निकट निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक नियमों, परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।
10. क्या संस्थान प्रारंभ करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त की गई थी? साथ ही, विमान प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्थानीय निकायों से ऐसी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य करने वाले मानदंड/आवश्यकताओं की प्रतियां तथा प्राप्त अनुमतियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।

11. क्या बीआईए भवन का हवाईअड्डे के रनवे तथा संस्थान की सीमा के निकट स्थित एचपी एविएशन ईंधन स्टेशन के समीप होना छात्रों, जन-सुरक्षा अथवा हवाईअड्डे के परिचालन के लिए जोखिम उत्पन्न करता है? हवाईअड्डों के आसपास स्थित भवनों की सुरक्षा संबंधी जोखिमों की समीक्षा करने संबंधी सरकार की हालिया घोषणा के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

12. हवाईअड्डे की प्रचालन सीमा के निकट स्थित संरचनाओं से संबंधित किसी विमान दुर्घटना की स्थिति में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जोखिमपूर्ण संरचनाओं की समीक्षा, प्रतिबंध अथवा हटाने के लिए किस नीति अथवा रूपरेखा का अनुपालन करता है? विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि बीआईए को अपने संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई है, जबकि उसका भवन परिचालन क्षेत्र के अत्यंत निकट स्थित है तथा यह भी बताया जाता है कि संबंधित भूमि संस्थान की स्वामित्व वाली नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 तक उक्त स्थान पर ऐसा कोई भवन अस्तित्व में नहीं था, किन्तु वर्ष 2018 के पश्चात वहाँ दो-मंजिला भवन का निर्माण किया गया तथा संस्थान पूर्ण रूप से संचालित किया जा रहा है। कृपया यह स्पष्ट किया जाए कि परिचालित हवाईअड्डे के रनवे के इतने संवेदनशील क्षेत्र के निकट निर्माण एवं संस्थान संचालन की अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई।

पटना हवाईअड्डे पर हाल ही में हुई सुरक्षा चूक, जिसमें एक व्यक्ति ने सीमा-दीवार लांघकर प्रवेश किया, ने गंभीर सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न की हैं। ऐसे घटनाक्रमों तथा हवाईअड्डों के आसपास स्थित भवनों की सुरक्षा संबंधी जोखिमों की समीक्षा करने संबंधी सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए, उक्त भवन की वैधता एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन का तत्काल सत्यापन आवश्यक है। अतः मांगी गई सूचना जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।

**आरटीआई आवेदन संख्या MOCAV/R/E/25/00431 की कार्रवाई का विवरण**

**आवेदक का नाम:** मनीष कुमार कश्यप

**आवेदन का विवरण:** कृपया संलग्नक देखें।

**आवेदन पर की गई कार्रवाई:**

| क्र. सं. | की गई कार्रवाई | कार्रवाई की तिथि | कार्रवाई करने वाले अधिकारी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआ | 04/08/2025 | नोडल अधिकारी | — |
| 2. | आवेदन सीपीआईओ को अग्रेषित किया गया | 05/08/2025 | नोडल अधिकारी | सीपीआईओ को अग्रेषित: (1) दीपक नागपाल |
| 3. | आवेदन अन्य सीपीआईओ को स्थानांतरित किया गया | 25/08/2025 | दीपक नागपाल (सीपीआईओ) | सीपीआईओ को स्थानांतरित: (1) पद्मा नांधरी |
| 4. | आवेदन अन्य लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित किया गया | 25/08/2025 | दीपक नागपाल (सीपीआईओ) | (2) **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** : मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के अन्य सीपीआईओ (सहायक), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नागर विमानन महानिदेशालय तथा बिहार राज्य सरकार से संबंधित है। ये तीनों पृथक लोक प्राधिकरण हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ को आवेदन स्थानांतरित किया जाता है ताकि वे आवेदक को सीधे सूचना उपलब्ध करा सकें।<br><br>**(3) नागर विमानन महानिदेशालय** : मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के अन्य सीपीआईओ (सहायक), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) तथा बिहार राज्य सरकार से संबंधित है। ये तीनों पृथक लोक प्राधिकरण हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ को आवेदन स्थानांतरित किया जाता है ताकि वे आवेदक को सीधे सूचना उपलब्ध करा सकें। |